

FORM B

[See rule 9 (3), (4) & (6)]

Office of Prescribed Authority , S. D. O. Danta Ramgarh-

No.

Dated.

CONVERSION ORDER

On the application of Sardar Patel Shikshan Sansthan by Secarary Smt- Sumitra singh w/o sh-Narayan Singh R/O Aloda Tehsil DANTARAMGARH, DISTT- SIKAR, agricultural land held by him in his khatedari tenancy is hereby converted for a non-agricultural Land for Non- Agricultural in Rural Areas) Rules. 2007 the particular of which are given as under:-

1	Name of applicant khatedar/ tenants with father/s / husband's name and complete address	Sardar Patel Shikshan Sansthan by Secarary Smt- Sumitra singh w/o sh-Narayan Singh R/O Aloda Tehsil DANTARAMGARH, DISTT- SIKAR,
2	Whether the applicant is a member of SC/ ST.	OBC
3	Details of the Land converted	---
a	Name of the Village/ Gram Panchaya/ tehsil	Village, Aloda Tehsil Danta Ramgarh
b	Khasra No. of the land along with area of each khasra No. (in hectare)	Khasra No 1187 /1 area 0.2073 hectare
c	Area converted (In hectare or Sq. mtr.) ind.	500.sq.mtr.
d	locating the area of each khasra No.	Khasra No 1187 /1 area 0.2073 hectare में से 0.05 hectare
	Note- A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for non agricultural purpose is enclosed	SHOWING IN YELLOW INK
4	Purpose of conversion	Commercial purpose UNIT
5	Rate of conversion charges payable	Rs.10-00/- per .sq.mtr
6	Amount of premium deposited with No. and date of challan	Cha.No. 787 Date. 01-02-2008 Rs. 5,000/-
7	amount of penalty deposited if any, with date and no. of challan.	--
8	amount of interest deposited, if any, with date and no. of challan.	--
9	whether the order issued issued under rule 13 for regularization	--
10	Other particulars. if any	नियमानुसार सरता एवं राडक सीमा को छोडकर

----2-----

Handwritten signature and stamp of the authority.

अध्यक्ष
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान

37

(2)

11. The above conversion order shall be subject to the following conditions:-

- (1) The Land converted for the above non- agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- (2) If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 2 years, from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- (3) No land mentioned in rule 4 shall be used for any non- agricultural purpose.
- (4) No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non- agricultural purpose without valid permission from the prescribed Authority.



[Signature]
 SUB-DIVISIONAL OFFICER
 DANTA RAMGARH

Date. 25-2-02

Copy to -- 439-41

- 1 Distret Collector, Sikar.
- 2 Gram Panchayat, Village, Aloda , Tehsil Danta Ramgarh.
- 3 Patwari - , Aloda , Tehsil Danta Ramgarh.
- 4 The applicant of Sardar Patel Shikshan Sansthan by Secarary Smt-
 Sumitra singh w/o sh-Narayan Singh R/O Aloda Tehsil
 DANTARAMGARH, DISTT- SIKAR,
- 5 Office copy.

[Signature]
 SUB-DIVISIONAL OFFICE
 DANTA RAMGARH

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)
 कमाक/भू.रू./2012/राजस्व/ दिनांक:- .12.2011

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक सरदार पटेल शिक्षण संस्थान, अलोदा जरिये सचिव श्रीमती सुमित्रासिंह धर्मपत्नि श्री नारायणसिंह जाति जाट निवासीनी अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू. राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है: -


1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	सरदार पटेल शिक्षण संस्थान, अलोदा जरिये सचिव श्रीमती सुमित्रासिंह धर्मपत्नि श्री नारायणसिंह जाति जाट निवासीनी अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राहिन एस बी बी जे शाखा खाटूश्यामजी मूर्तहीन			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख. नं. 1186/1 रकबा 0.1483 है. बारानी चतुर्थ			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख. नं.	रकबा	संपरिवर्तित रकबा	
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	1186/1	0.1483 है.	0.1483 है. यानि 1483 वर्ग मीटर	...
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक)			
5	संदेय प्रीमियम की दर	7.20/- प्रति वर्गमीटर			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	527 दिनांक 13-12-12 तादादी 10680/- रूपये			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	नहीं			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	उक्त चर्चे में आने वाले के लिये रास्ते की चकत्ता जमा आपके हतर पर करेगा। ...2...			

अन्वयक
 सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
 अलोदा (सीकर)

...2...
 अधिकारी
 दांतारामगढ

(40)

- (2) उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-
- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
 - 2 संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा काय रखना होगा।
 - 3 यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क माप है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक से अनुमति लेनी होगी।
 - 4 राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6) राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक अनुसार नक्शा पास होने से व उद्योग विभाग में पंजीयन व प्रदूषण से नोन पॉल्यूशन इकाई का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किया जायेगा।
 - 5 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24/02/2012 क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20-11-04 के अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
 - 6 The land converted for the above non - agricultural purpose used for any other non agricultural purpose ,without the permission of the prescribed authority.
 - 7 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
 - 8 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission of the prescribed authority.
 - 9 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within the period of 5 years from the date of the issue of this order the application shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
 10. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान द्वारा घोषित हरित राजस्थान अभियान का छायादार पेड़ लगाने अनिवार्य है।



5d -
उपखण्ड अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, दांता

क्रमांक/भूमि रुपा./2012/राजस्व/2460-64


प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- दिनांक 18.12.2012

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, सीकर।
- 2 तहसीलदार, दांतारामगढ़।
- 3 पटवारी हल्का अलोदा तह. दांतारामगढ़।
- 4 ग्राम पंचायत अलोदा।
- 5 सरदार पटेल शिक्षण संस्थान, अलोदा जरिये सचिव श्रीमती सुमित्रा देवी
- 6 नारायणसिंह जाति जाट निवासीनी अलोदा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

5d -
उपखण्ड अधिकारी
प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, दांता




आशुतोष कान्ठ साहू काठ अलोदा तालुका दांडारवाडा
दि. सीमा. प. मा. ग. मी. = ४५१२



P-35
6142
27-11-12

सहायक निरीक्षक काठारवाडा
अ. कु. साहू
27-11-12
काठारवाडा

३१


महसीलदार
दांडारवाडा (सीकर)

उप सहायक निरीक्षक
काठारवाडा

अध्यक्ष
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
अलोदा (सीकर)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)

कमाक/भूरू./2012/राजस्व/

दिनांक:- .12.2011

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक सरदार पटेल शिक्षण संस्थान, अलोदा जरिये सचिव श्रीमती सुमित्रासिंह धर्मपत्नि श्री नारायणसिंह जाति जाट निवासीनी अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू, राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है: -

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	सरदार पटेल शिक्षण संस्थान, अलोदा जरिये सचिव श्रीमती सुमित्रासिंह धर्मपत्नि श्री नारायणसिंह जाति जाट निवासीनी अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राहिन एस वी वी जे शाखा खाटूश्यामजी मूर्तहीन			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर			
	(ख)भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख. नं. 1187/1909 रकबा 0.1573 है. बारांनी चतुर्थ			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख. नं.	रकबा	संपरिवर्तित रकबा	
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	1187/1909	0.1573 है.	0.1000 है. यानि 1000 वर्ग मीटर	...
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक)			
5	संदेय प्रीमियम की दर	7.20/- प्रति वर्गमीटर			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	526 दिनांक 13-12-12 तादादी 7200/- रुपये			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	534 दिनांक 17/12/2012 तादादी 221,600/- रुपये निर्माण 336 वर्ग मीटर			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हाँ			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	उक्त भूमि में जाने-जाने के लिये रास्ते की व्यवस्था प्रार्थना अपने हतर पर करेगा।			

अध्यक्ष
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
दांतारामगढ (सीकर)

...2...
सचिव

1
4

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (इ.स.जी.इन.) दोतासरा
कंमाक/भू.रू./2012/राजस्व/संपरिवर्तन आदेश

आवेदक सरदार पटेल शिक्षण संस्थान, अलोदा जरिये धर्मपति श्री नारायणसिंह जाति जाट निवासीनी अलोदा तहसील के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन विशिष्टियां नीचे दी गई है: -

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	सरदार पटेल शिक्षण संस्थान, श्रीमती सुमित्रासिंह धर्मपति श्री जाट निवासीनी अलोदा तहसील सीकर राहिन एस बी बी जे मूर्तहीन		
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	नहीं		
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम व ग्राम पंचायत अलोदा तहसील जिला सीकर		
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख. नं. 1187/1909 रकबा 0.1573 है		
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख. नं.	रकबा	संपरिवर्तित रकबा
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	1187/1909	0.1573 है	0.1000 है यानि 1000 वर्ग मीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक)		
5	संदेय प्रीमियम की दर	7.20/- प्रति वर्गमीटर		
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	526 दिनांक 13-12-12 तादादी 7200/-		
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	534 दिनांक 17/12/2012 तादादी 22150 रुपये निर्माण 336 वर्ग मीटर		
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-		
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	वहीं है		
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	उक्त भूमि में आने-जाने के लिये रास्ते की व्यवस्था करेगा। ...2...		

महेश्वर अधिकारी

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- अलोदा
पटवार हल्का :- अलोदा
भू.अभि.नि. :- इकिया
तहसील :- दाँतारामगढ़
जिला :- सीकर

गन्वत :- 2076 - 2079
भूमि धारक का नाम :- राज.गरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
घाता संख्या नया :- 495
घाता संख्या पुराना :- 431

कारतकार का नाम:-

1. सरदार पटेल शिक्षण संस्थान अलोदा जरिये सचिव सुभिवागिह पति नारायणसिंह जाति जाट नि. अलोदा घातेदार हिम्मा- पूर्ण घातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कूपक द्वारा संदत्त लगान	रिचार्ज के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1186/1	0.1483	गै.मु.संस्थानिक	0.1483	0.00		
1187/1908	0.0500	गै.मु.वाणिज्य	0.0500	0.00		
1187/1909	0.1573	गै.मु.संस्थानिक	0.1000	0.00		
		बारानी 3	0.0573	0.17		
कुल खसरे - 3	0.3556		0.3556	0.1700		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 8-Aug-2019



P-35/2019 99/45
8-8-19

अध्यक्ष

8.8.19
प. मण्डल


अध्यक्ष
सरदार पटेल शिक्षण संस्थान
अलोदा (सीकर)

જઠલ ડાંગરીઠ તબક્કાલક્ષણ

ગ્રામ. અલોડા

તાલુકા - ડાંગરામગાદ

જિલ્લા - સુરત



P-352 ક્રમાંક 9945
8-8-19

અધિકારી

W. Patel

8-8-19

પ. મલગડ

અધ્યક્ષ
શ્રીમદ્દાર પટેલ શિક્ષણ સંસ્થાન
અલોડા (સુરત)